प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **157 / 2024** (अपील सूचना का अधिकार)
किशन सिंह पुत्र भंवर सिंह राणावत पताः बरोड़िया वाना वाया खेरोदा, तहसील–भीण्डर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 02-12-2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 25.07.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर जिला मजिस्ट्रेट को दिये परिवाद दिनांक 18.06.2024 पर विभाग द्वारा कराई गई समस्त प्रतिलिपियां व परिवाद के दर्ज स्थान की मौका रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति नकल नक्षा की प्रतिलिपि चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर / सू.अ. / प्रथम अपील / 157 / 24 / 1298–99 दिनांक 08.11.2024 से लिखा गया।

प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र कमांक प.41 / 2 / लो.सू.अ. / प्र.अ.स. / 157 / 2024 / 1171 दिनांक 13.11.2024 से कार्यालय को अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2024 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। आवेदन पत्र में वर्णितानुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध सहायक निदेशक लोक सेवाएं, उदयपुर से होने से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 710–11 दिनांक 30.07.2024 द्वारा अंतरित कर दिया गया एवं उक्त अंतरण के संबंध में प्रार्थी को भी पूर्व में सूचित कर दिया गया था। अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के क्रम में सहायक निदेशक लोक सेवाएं, उदयपुर को कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ. / प्रथम अपील / 157 / 24 / 1311–12 दिनांक 18.11.2024 से लिखा गया। सहायक निदेशक लोक सेवाएं, उदयपुर द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफ0 / सनिलोसे / आरटीआई / 2023 / 596 दिनांक 25.11.2024 से निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी भीण्डर से संबंधित होने से कार्यालय के पत्रांक 397 दिनांक 14.08.2024 द्वारा सूचना का अधिकार

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत संबंधित अधिकारी को अंतरण कर दिया था, जिसकी सूचना प्रार्थी को भी दी गई थी। उक्त अपील का संबंध इस कार्यालय से न होकर उपखण्ड अधिकारी भीण्डर से है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त अपील इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से निरस्त कराने का श्रम करावे।

सहायक निदेशक लोक सेवाएं, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब के क्रम में उपखण्ड अधिकारी भीण्डर को जरिये पत्रांक पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/157/24/1376–77 दिनांक 26.11.2024 से लिखा गया। जिसके क्रम में उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/421 दिनांक 28.11.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना दिनांक 28.11.2024 को रसीदन उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा दिनांक 28.11.2024 से अपीलार्थी को रसीदन उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसी स्थिति में अपील में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह जाने से अपील अपीलार्थी खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर, उपखण्ड अधिकारी भीण्डर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर